प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौदह'

[8/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2249]

परिशिष्ट–1

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport and Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
Project Implementation Unit,
14, सम्पत हिल्स, सहारा सिटी के सामने, इन्दौर–देवास बायपास,
14, Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore-Dewas Bypass,
बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452016
Bicholi Mardana, Indore (M.P.) 452 016

दूरभाष/Phone : 0731-2901666
फैक्स/ Fax : 0731-
e-mail : indore@nhai.org
nhaiindore@gmail.com

भा.रा.रा.प्रा./परि.का.इ./इन्दौर/पी.क्यू./2016/297

दिनांक 19.02.2016

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
ई–2/167, अरेरा कॉलोनी,
हबीबगंज स्टेशन के पास,
भोपाल (म.प्र.) 462016

विषय : इन्दौर–अहमदाबाद बायपास रोड़ निर्माण। विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2249 (सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.03.2016) द्वारा श्री शांतिलाल बिलवाल।

महोदय,

उपरोक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2249 में परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

स. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	झाबुआ जिले अंतर्गत इन्दौर–अहमदाबाद बायपास फूलमाल फाटक से देवझिरी तक सी.सी. रोड़ निर्माण की स्वीकृति दी गई है?	राज्य शासन से संबंधित है।
(ख)	यदि हॉं, तो नेशनल हाइवे कब से कब तक लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी?	भा.रा.रा.प्रा. उक्त भाग के हस्तांतरण हेतु सहमत है। यदि राज्य सरकार इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव जारी करती है, तो इस कार्यालय द्वारा उक्त मार्ग के हस्तांतरण अथवा संधारण/मरम्मत कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(ग)	यदि उक्त बायपास निर्माण कार्य का हस्तांतरण नहीं होता है तो उक्त फूलमाल फाटक से देवझिरी तक रोड़ जो कि पूरा उखड गया है की मरम्मत का कार्य किया जावेगा?	यद्यपि फूलमाल फाटक से देवझिरी तक के आंतरिक मार्ग के गड्डे भरकर सुगम यातायात का दायित्व कंसेशनायर का है किन्तु नगदी प्रवाह की कमी के कारण अन्य शेष कार्यों के अतिरिक्त यह कार्य भी प्रभावित हुआ है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अतः इन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आवश्यक मरम्मत/संधारण की आवश्यकता को देखते हुए इस कार्यालय द्वारा ऐसे सभी आंतरिक मार्गों के संधारण/मरम्मत हेतु रू. 13.17 करोड़ लागत का एक प्राक्कलन (कंसेशनायर के risk & cost) पर तैयार किया गया है, जिसमें उक्त आंतरिक भाग (प्रशासन द्वारा सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य छोडकर) भी सामिल है, जिसकी स्वीकृति उपरान्त मरम्मत/संधारण कार्य वर्षाऋतु के पूर्व पूर्ण कर लिए जाएँगे। राज्य सरकार द्वारा रा.रा.कमांक–59 के ऐसे सभी आंतरिक मार्गों को अपने अधिपत्य में लेकर यथोचित निर्माण कार्य कराये जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
(घ)	यदि उक्त रोड़ का मरम्मत कार्य किया जावेगा तो कब तक किया जावेगा?	

भवदीय,

महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर

प्रतिलिपि :

- मुख्य अभियन्ता (रा.रा.परि.), कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निमाण विभाग "निर्माण भवन", प्लाट नं. 27–28, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)